फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

किरणराज बनाम सरकार वगैरह

किस्म मुकदमा .....225..... मुकदमा नंबर.....14.....सन.....2023.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.02.2023	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण आज दिनांक को उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखंड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 23/2023 मे पारित आदेश दिनांक 08.02.2023के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट ने प्रकरण मे बहस करने हेतु निवेदन किया, जिस पर अपीलांट अधिवक्ता द्वारा एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजीया के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की कब्जे काश्त की आराजी है। सेटलमेंट के दौरान भूप्रबंध अधिकारियो को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भूमि का रकबा कम करने का अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। उक्त	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश की आड मे रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी से अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है। अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के अन्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान वाद मे जल स्त्रोतो एवं बहाव क्षेत्र इत्यादि के संबध मे निर्णय का हवाला देते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी के संबध माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयो को ससम्मान अनुसरण करते है। अपीलांट द्वारा उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष अंतरिम व्यादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है एंव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण मे आगामी पेशी दिनांक 12.04.2023 नियत की गई है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयो को ससम्मान अनुसरण मे मूल वाद मे गुणवागुण पर पारित होगा। ऐसी स्थिति मे उक्त अपील ग्राह्यता के अंतरिम व्यादेश के विरूद्ध होने के फलस्वरूप खारिज की जाती है। प्रकरण मे न्यायहित को मद्देनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता हे कि आपके समक्ष वादग्रस्त आराजी से संबधित अस्थाई निषेधाज्ञा राजस्व प्रकरण संख्या 23/2023 के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर 2 माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे, तब तक मौके पर विवादित परिस्थितियो को मद्देनजर रखते हुए आदेश दिया जाता है कि तब तक उभयपक्ष हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 311 मे से रकबा 0.09 हैक्टेर पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
झाबुआ